राष्ट्रीय स्वास्थ्य मि"ान
मध्यप्रदे"ा

8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/आशा/एन एच एम/2015/ भोपाल, दिनांक.....2015

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय – गृह आधारित शिशु देखभाल कार्यक्रम (एचबीएनसी) एवं एस.एन.सी.यू से डिस्चार्ज तथा समय पूर्व जन्में/कम वजन के शिशुओं को दो वर्ष की आयु तक गृह भेंट के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश ।

सन्दर्भ :– पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./शिशु स्वास्थ्य/2015/385 भोपाल, दिनांक 09/01/2015

उपरोक्त विषयान्र्गत लेख है कि ग्रह आधारित शिशु देखभाल कार्यक्रम का क्रियान्वयन आशा मॉड्यूल 6 एवं 7 के प्रथम चक्र का सफलता पूर्वक आशाओं द्वारा प्राप्त करने के पश्चात **गृह आधारित शिशु देखभाल एवं एस.एन.सी.यू से डिस्चार्ज तथा समय पूर्व जन्में/कम वजन के शिशुओं को दो वर्ष की आयु तक गृह भेंट की किया जाना है –**

(अ) गृह आधारित शिशु देखभाल कार्यक्रम (एचबीएनसी) हेतु निम्न दिशा निर्देशो का पालन किया जावे–

1. जिन आशाओं ने आशा मॉड्यूल 6 एवं 7 के प्रथम चक्र का सफलता पूर्वक पूर्ण कर लिया है वे आशायें धात्री महिला तथा नवजात शिशु की जॉच हेतु गृह भेंट करेगीं। आशा द्वारा मॉ एवं शिशु की सही देखभाल करने एवं सम्बधित प्रपत्र में जानकारी एकत्रित करने पर प्रति आशा प्रति प्रपत्र रूपये 250/– प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किये जायेगें। भुगतान का क्रम निम्नानुसार हेगा –
   - संस्थागत प्रसव पश्चात नवजात शिशु एवं प्रसूता महिला के घर आने पर आशा द्वारा छह दौरे – 03,07,14,21,28 एवं 42वे दिन गृह भेंट कर मॉ एवं नवजात शिशु की देखभाल एवं जॉच की जावेगी ।
   - घर पर प्रसव होने के मामले में आशा द्वारा सात दौरे – 01, 03, 07, 14, 21 ,28 एवं 42वे दिन गृह भेंट कर मॉ एवं नवजात शिशु की देखभाल एवं जॉच की जावेगी ।
   - यदि प्रसव सीजेरियन हुआ है और मॉ एवं नवजात शिशु 5–6 दिन पश्चात अस्पताल से घर आते है ऐसी स्थिति में आशा द्वारा 07वे दिन से 42 वें दिन तक के विजिट नियमानुसार करने पर आशा को रूपये 250/– प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा।
   - एसएनसीयू में भर्ती नवजात शिशु को जिस दिन डिस्चार्ज किया जाता है और आशा द्वारा शेष दिनों के गृह भ्रमण पूर्ण किये जाने पर आशा को रूपये 250/– प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा।
   - यदि प्रसव पश्चात कोई महिला अपने मायके से ससुराल चली जाती या ससुराल से मायके ऐसी स्थिति में एचबीएनसी की प्रोत्साहन राशि रूपये

250/– को दो भागेां में बांटा जा सकता है यह राशि दो आशाओं में विभाजित होगी प्रथम तीन या अधिक विजिट करने वाली आशा को रूपये 125/– और शेष बिजिट करने वाली को आशा को रूपये 125/– यह कार्य करने के पश्चात आशा सहयोगी/एएनएम द्वारा गृह भ्रमण कर उसके द्वारा किये गये दौरों को सत्यापित करना होगा । यदि आशा द्वारा तीन से कम दौरे करने पर उसे भुगतान की पात्रता नही होगी इसके अलावा यदि आशा द्वारा पांच विजिट या इससे अधिक करने पर उसे पूरी राशि रूपये 250/– की पात्रता हेागी ।

2. उपरोक्त जांच पूर्ण होने पर आशा को रूपये 250/– प्रति नवजात शिशु के मान से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा । आशा द्वारा की जाने वाली गृहभेंट का सत्यापन आशा सहयोगी द्वारा किया जाना है। ग्राम स्वास्थ्य समिति की बैठक में गृहभेंट किये गये नवजात शिशुओं की संख्या का सत्यापन कर वाउचर एएनएम तथा ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्य द्वारा सत्यापित किया जायेगा । आशाओं की मासिक बैठक में वाउचर के आधार पर भुगतान पत्रक तैयार कर मासिक रूप से भुगतान किया जायेगा।
3. रूपये 250/– का भुगतान निम्न शर्ते पूर्ण होने पर किया जावेगाः–
   - मातृत्व एवं बाल रक्षा (एमसीपी) कार्ड में जन्म के समय का वजन दर्ज किया गया हो ।
   - नवजात शिशु को बीसीजी, हेपेटाईटिस–बी, पोलियो की खुराक और डीपीटी का पहला टीका लगाया गया हों और उसे एमसीपी कार्ड में दर्ज किया गया हो।
   - जन्म का पंजीयन किया गया हो।
   - मॉ एवं नवजात शिशु दोनो ही प्रसव के बाद 42 दिनों तक सुरक्षित हों ।
4. आशा गृहभेंट के समय निम्न कार्य संपादित करेगी :–
   - गृहभेंट के समय अधिक खतरे वाले शिशु जैसे समय पूव जन्म(प्रीटर्म), जन्म के समय कम वजन तथा स्तनपान में परेशानी की पहचान कर अतिरिक्त भेंट की जावेगी ।
   - गृहभेंट के समय फार्म में जांच परिणाम एवं जानकारी दर्ज की जावेगी ।
   - माँ एवं परिवार को नवजात शिशु एवं प्रसव पश्चात माँ की देखभाल हेतु जानकारी दी जायेगी । गंभीर बीमारी के बारे में सलाह दी जायेगी ताकि आवश्यकता होने पर समय पर 108 वाहन के द्वारा उपयुक्त अस्पताल में इलाज हेतु भेजा जा सके।
   - नवजात शिशु की बीमारी की शीघ्र– अतिशीघ्र पहचान की जायेगी तथा सामान्य बीमारी होने पर सलाह एवं उपचार दिया जायेगा।
   - गंभीर बीमार होने की स्थिति में उपयुक्त अस्पताल में 108 वाहन के द्वारा रेफर किया जायेगा।

- माँ एवं परिवार को परिवार नियोजन के साधनों के बारे में परामर्श दिया जायेगा।

5. आशा सहयोगी माह में 02 बार गांव में भ्रमण कर आशा के साथ गृहभेंट करेगी।आशा सहयोगी आशा को नवजात शिशु की जॉच करने, प्रपत्र भरने आदि में मदद करेगी तथा आशा के कार्यो का सत्यापन करेगी । आशा सहयोगी एवं पोषण दिवस अथवा गांव के भ्रमण के दौरान एएनएम द्वारा आशा के साथ गृह भेंट कर नवजात शिशु की जांच कर आशा के कार्यो का सत्यापन करना है
6. आशाओं के पास एचबीएनसी किट होना सुनिश्चत करे। एचबीएनसी किट में निम्न सामग्री आशा के पास होना आवश्यक है– (पैलेडी, थर्मामीटर, वजन मशीन, बेबी कम्बल, वॉर्म बैग, चम्मच, आशा बैग एवं म्यूकस एक्सट्रैक्टर)
7. राज्य स्तर से जिलें को भेजें गये एचबीएनसी प्रमत्र डीसीएम/डीपीएम/बीसीएम/बीपीएम आशाओं को उपलब्ध करायें। जो निम्नानुसार है–

- गर्भावस्था फार्म
- सामान्य शिशु के लिये घरों का दौरा का फार्म
- अधिक जोखिम वाले शिशु के लिये घरो का दौरा का फार्म (आवश्यकतानुसार पूरक फार्म)
- दूसरे माह के लिए घरो का दौरा का फार्म (आवश्यकतानुसार पूरक फार्म)
- स्तनपान सम्बन्धी समस्या उपचार फार्म – (आवश्यकतानुसार पूरक फार्म)
- हाइपोथर्मिया उपचार फार्म –(आवश्यकतानुसार पूरक फार्म)

8. आशा द्वारा गृहभेंट हेतु प्रोत्साहन राशि एनएचएम की वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 के एफएमआर कोड बी1.1.3.2.1 पर अनुमोदित है।

(ब) आशाओं द्वारा एस.एन.सी.यू से डिस्चार्ज किये गये शिशुओं को एक वर्ष की आयु तक तथा समय पूर्व जन्में/कम वजन के शिशुओं को दो वर्ष की आयु तक गृह भेंट दी जानी है–

जिसमें आशा गृहभेंट के समय निम्न कार्य संपादित करेगी :–

- **एस.एन.सी.यू से डिस्चार्ज किये गये शिशुओं को एक वर्ष की आयु** तक आशा द्वारा चार दौरे – 03, 06, 09 एवं 12वें माह में ग्रह भेंट करना एवं डिस्चार्ज पश्चात दिये गये निर्देशों का पालन कराना।
- **एस.एन.सी.यू से डिस्चार्ज, समय पूर्व जन्में एवं कम वजन के शिशुओं को दो वर्ष की आयु** तक आशा द्वारा आठ दौरे – 03, 06, 09,12,15, 18, 21 एवं 24वें माह में ग्रह भेंट करना है
- गृहभेंट के समय फार्म में जांच, परिणाम एवं जानकारी दर्ज की जावेगी ।
- प्रत्येक गृहभेंट के समय एमसीपी कार्ड में वृद्वि चार्ट पर वजन दर्शायेगी एवं शिशु किस रंग में आ रहा है इससे मॉ को अवगत करायेगी एवं उचित सलाह देगी – लाल/पीला/हरा ।

- शिशु को आयु अनुसार लगने वाले टीकों के बारे में जानकारी लेना एवं अगले टीकाकरण के बारे में बताना।
- परिवार को परामर्श देना– हाथ धोने का महत्व बताना, 6 माह तक सिर्फ स्तनपान, 6 माह पश्चात उचित पूरक आहार की शुरूआत, बच्चे के साथ खेलना और बातचीत ।
- 6वे माह की गृहभेंट में ओ.आर.एस. का पैकेट मॉ को देना, ओआरएस का घोल तैयार करना सिखाना तथा उसके उपयेाग बारे में बताना एवं आई. एफ.ए सीरप देकर आना एवं खुराक की मात्रा बताना।
- 9 वें माह में की जाने वाली गृहभेंट के दौरान अन्य गतिविध्यिों के साथ विटामिन ए की खुराक पिलवाना एवं टीकाकरण हेतु प्रेरित करना।
- प्रत्येक गृह भेंट के समय शिशु में होने वाले आम खतरे के चिन्हो का आकंलन एव पहचानना तथा उनके बारे में मॉ/परिवार को बताना। खतरे के चिन्ह दिखाई देने पर उचित परामर्श दे एवं कार्यवाही करेगी।

आशा द्वारा **एस.एन.सी.यू से डिस्चार्ज समय पूर्व जन्में/कम वजन के शिशुओ को दी जार ही** गृहभेंट हेतु प्रोत्साहन राशि एनएचएम की वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 के एफएमआर कोड बी1.1.3.2.2 एवं बी1.1.3.2.3 पर अनुमोदित है।

(फैज अहमद किदवई)
मिशन संचालक,
एन एच एम,मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/आशा/एन एच एम/2015/ भोपाल, दिनांक.....2015

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश
2. संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश
4. संचालक वित्त, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
5. उपसंचालक शिशु स्वास्थ्य, एनएचएम, भोपाल।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश।
8. समस्त राज्य प्रशिक्षक आशा मॉडयूल 6 एवं 7।

मिशन संचालक,
एन एच एम, मध्यप्रदेश